MOFPI

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

आत्मनिर्भर भारत

पीएम एफएमई – प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

वोकल फॉर लोकल

खाद्य प्रसंस्करण में सूक्ष्म उद्यमों के विकास में तत्पर

सत्यमेव जयते

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से लाभ लेने के लिए खाद्य सूक्ष्म उद्यमियों, एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं के लिए सुनहरा अवसर देने वाले आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऐतिहासिक पहल।

"130 करोड़ नागरिकों का एक संयुक्त संकल्प भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आगे का रास्ता लोकल – लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट्स, लोकल सप्लाई चेन में निहित है। लोकल केवल एक आवश्यकता नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है।"

नरेन्द्र मोदी, प्रधान मंत्री

हरसिमरत कौर बादल
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

रामेश्वर तेली
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री

1. भूमिका:

1.1 लगभग 25 लाख उद्यमों वाला असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य उद्यम क्षेत्र के कुल रोजगार में 74% का योगदान करता है। इनमें से लगभग 66% उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और लगभग 80% उद्यम परिवार आधारित उद्यम हैं जो ग्रामीण पारिवारिक आजीविका में सहायक हैं और शहरी क्षेत्रों में उनके पलायन को कम करती हैं। अधिकांशतः ये सूक्ष्म उद्यम हैं।

1.2 इन उद्योगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे इनका काम एवं वृद्धि सीमित हो जाती है। इन चुनौतियों में, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, सांस्थानिक ऋण की उपलब्धता, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में जानकारी में कमी तथा ब्रांडिंग एवं विपणन कौशल की कमी शामिल हैं। इसलिए, असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अपनी भारी क्षमता के बावजूद मूल्यवर्धन तथा आउटपुट के संदर्भ में बहुत कम योगदान कर पाता है।

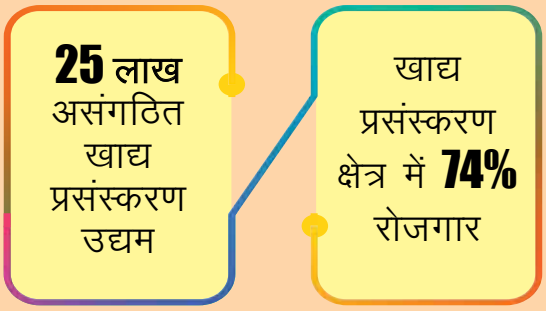

2. उद्देश्य

2.1 असंगठित खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के योगदान और उनके कार्यनिष्पादन में बाधा पहुंचाने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय ने एक पैकेज सहायता तथा सेवाओं के माध्यम से "पीएम एफएमई – प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" शुरू की है। इस योजना के उद्देश्यों निम्नलिखित हैं:–

(i) तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड–होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता निर्माण।

(ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाना।

(iii) सूक्ष्म उद्यमों को साझा सेवाओं का लाभ लेने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता करना।

(iv) मौजूदा उद्यमों को विभिन्न सरकारी पंजीकरण हेतु औपचारिक फ्रेमवर्क की ओर जाने में सहायता।

(v) ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ समीकरण।

3. शामिल किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा वित्तपोषण का पैटर्न

3.1 यह वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के 5 वर्षों के लिए 2,00,000 उद्यमों को लाभ देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना के अंतर्गत व्यय में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात, पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात, विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 60:40 के अनुपात और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्र द्वारा योगदान किया जाएगा।

3.2 प्रथम वर्ष अर्थात 2020–21 में केंद्र अथवा राज्य द्वारा किए जाने वाला व्यय का वहन 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रथम वर्ष के लिए किया गया व्यय, राज्यों को अगले चार वर्षों में हस्तांतरित की जाने वाली निधियों में समान रूप से उपर्युक्त औसत से समायोजित किया जाएगा।

केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न

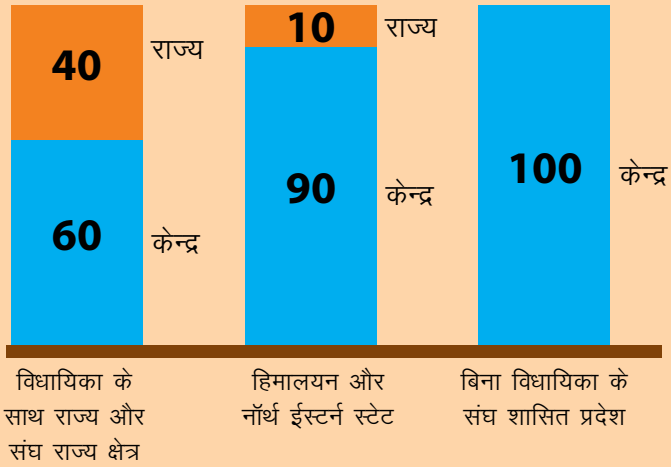

3.3 योजना के अंतर्गत निधियां राज्यों की अनुमोदित प्रोजेक्ट कार्यान्वयन प्लान (पीआईपी) के आधार पर राज्यों को दी जाएगी।

4. एक जिला–एक उत्पादः क्लस्टर दृष्टिकोण

4.1 इस योजना में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के तहत कृषि उत्पाद की खरीद, साझा सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के संदर्भ में पैमाने के लाभों को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण वैल्यू चेन और बुनियादी ढ़ाचे के विकास के लिए रूप–रेखा प्रदान करेगा। एक जिले में एक उत्पाद के लिए एक से अधिक क्लस्टर हो सकते हैं। एक क्लस्टर का विस्तार एक से अधिक जिलों में हो सकता है। शीघ्र खराब होने वाली उपज परयोजना के फोकस की दृष्टि से राज्य एक जिले के लिए खाद्य उत्पाद चिह्नित करेंगे। ओडीओपी उत्पाद शीघ्र खराब होने वाली उपज पर आधारित, अनाज आधारित उत्पाद या व्यापक रूप से जिले और उनके सहयोगी क्षेत्रों में उत्पादित खाद्य उत्पाद हो सकता है। जैसे आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मत्स्यिकी, पॉल्ट्री उत्पाद तथा पशुचारा है। मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों के समर्थन के संबंध में, ओडीओपी दृष्टिकोण के तहत उत्पादन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालाँकि, अन्य उत्पादों का उत्पादन करने वाली उद्यमों का भी समर्थन किया जाएगा। समूहों के मामले में प्रभावी रूप से ओडीओपी उत्पादों में शामिल उद्योगों को सहायता दी जाएगी। ऐसे जिलों में अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण करने वाले समूहों को सहायता केवल उन्हीं को दी जाएगी जो ऐसे उत्पादों का पहले से प्रसंस्करण कर रहे हैं और जिनके पास पर्याप्त तकनीकी वित्तीय तथा उद्यमी क्षमता है। केवल ओडीओपी दृष्टिकोण के तहत उत्पादों के लिए साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा ब्रांडिंग ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन दिया जाएगा। राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए सहायता के मामले में जिलों के समान उत्पादों को भी जिनमें वही उत्पाद ओडीओपी के रूप में नहीं हैं, शामिल किया जा सकेगा।

4.2 योजना में बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजों को मजबूत करने, साझा सुविधाओं, इनक्यूबेशन केंद्रों, प्रशिक्षण, रिसर्च, विपणन और ब्रांडिंग की सहायता दी जाएगी। जिसका प्रावधान मुख्य रूप से ओडीओपी उत्पादों के लिए होगा। इसके अलावा, क्लस्टर दृष्टिकोण भी सरकार के मौजूदा प्रचार प्रयासों से पूरक और लाभान्वित होगा जैसे कि कृषि निर्यात नीति के तहत कृषि फसल समूहों का विकास, राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण मिशन के माध्यम से कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्लस्टर दृष्टिकोण।

5. खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता

खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता निम्नलिखित हेतु दी जाएगी:–

(i) उन्नयन हेतु विद्यमान असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।

(ii) यथा निर्धारित अधिकतम सीमा तक पूंजी व्यय के लिए स्वयं सहायता समूहों / एफपीओ / सहकारिताओं को परियोजना लागत की 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।

(iii) वर्किंग कैपिटल के रूप में खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रति सदस्य को 40,000/– रुपए की दर से प्रारंभिक पूँजी।

(iv) निर्धारित अधिकतम सीमा तक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना लागत की 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।

(v) यथा निर्धारित सीमा तक व्यय के 50% तक बिक्री और ब्रांडिंग के लिए सहायता।

6. प्रसंस्करण यूनिटों का उन्नयन

6.1 व्यक्तिगत श्रेणी: व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विस्तार/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से क्रेडिट–लिंक्ड पूंजी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं जिसकी अधिकतम लागत 10 लाख रुपए प्रति उद्यम तक हो सकती हैं। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए।

6.1.1 पात्रता मानदंड:

(i) उद्यम के स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/भागीदार फर्म।

(ii) मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यम जो कि सर्वे या रिसोर्स पर्सन द्वारा जांचे गए हों।

(iii) आवेदक 18 वर्ष से अधिक का हो और कम से कम 8वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

(iv) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" में स्वयं, पत्नी और बच्चे शामिल होंगे।

6.1.2 उन्नयन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

6.1.2.1 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इच्छुक उद्योगों के लिए जिला स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को एफ.एम.ई पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए। जांच के बाद बैंकों को ऋण प्रस्तावों की सिफारिश की जाएगी। राज्य सरकार बैंकों को सिफारिश जाने वाले आवेदनों की सूची बनाने के लिए उपयुक्त स्तर तय कर सकते हैं।

6.1.3 अनुदान हेतु बैंक के साथ कार्रवाई

6.1.3.1 राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को सब्सिडी वितरित करने के और लाभार्थियों को लाभ देने के लिए अन्य बैंकों के साथ संपर्क करने लिए नोडल बैंक नियुक्त किया जाएगा। ऋण स्वीकृत करने वाली बैंक लाभार्थी के नाम से एक और एकाउंट खोलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 अनुपात में अनुदान क्रमशः राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ऋण देने वाले बैंक में लाभार्थी के इस खाते में जमा किया जाएगा। यदि ऋण की

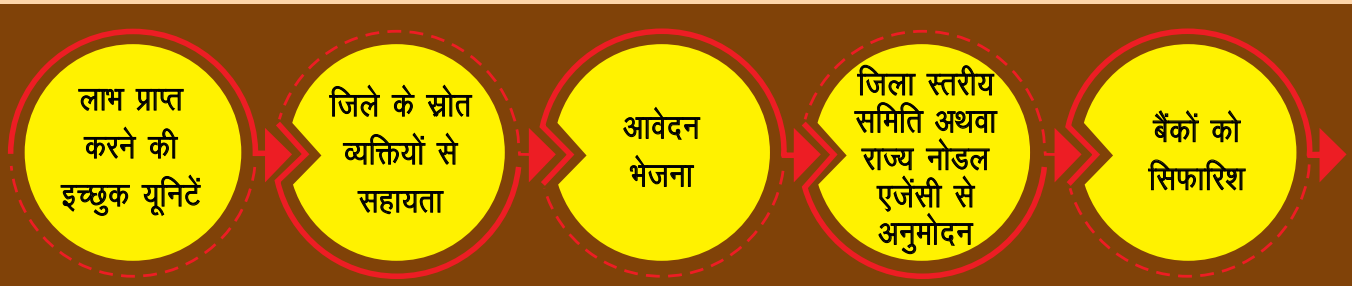

अंतिम किश्त के वितरण से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात लाभार्थी इस अवधि तक किस्त व ब्याज सही तरीके से चुका रहा हो और उद्यम कार्यशील हो तो यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। समूहों तथा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान भी इसी सिद्धांत को अपनाते हुए उनके बैंक में भेजी जाएगी।

6.2 **समूह श्रेणीः–** योजना क्लस्टरों में एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारिताओं को सहायता प्रदान करेगी एसएचजी/एफपीओ/उत्पादक सहकारिताओं को निम्नलिखित सहायता दी जाएगीः–

(i) यथा–निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ पूंजी निवेश हेतु क्रेडिट लिंकेज के साथ 35% की दर से अनुदान।

(ii) प्रशिक्षण सहायता।

(iii) बड़े क्लस्टर के स्तर पर ब्रांड विकसित करने हेतु ओडीओपी के अंतर्गत उत्पादों की विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता।

6.2.1 पात्रता मानदंड

(i) यह कम से कम तीन वर्षों तक ओडीओपी उपज के प्रसंस्करण में लगा हुआ होना चाहिए।

(ii) एसएचजी / एफपीओ / उत्पादक सहकारिताओं के मामले में उनका न्यूनतम टर्नओवर 1 करोड़ रुपए और प्रस्तावित परियोजना लागत वर्तमान टर्नओवर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) एसएचजी/एफपीओ/उत्पादक सहकारिताओं के पास परियोजना लागत और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी का 10% पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन होने चाहिए।

6.3 स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूँजी

6.3.1 योजना में वर्किंग कैपिटल तथा छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000/– रुपए की दर से प्रारंभिक पूंजी के उपबंध दी जाएगी। अनुदान के रूप में प्रारंभिक पूंजी एसएचजी फेडरेशन के स्तर पर दी जाएगी जो आगे एसएचजी द्वारा ऋण के रूप में सदस्यों को दी जाएगी।

6.3.2 पात्रता मानदंड

6.3.2.1 प्रारंभिक पूँजी के लिए केवल वे एस.एच.जी सदस्य जो वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत हैं पात्र होंगे। एस.एच.जी सदस्य को इस राशि को वर्किंग कैपिटल तथा छोटे औजारों को खरीदने हेतु उपयोग करने की प्रतिबद्धता करनी होगी और इस संबंध में एस.एच.जी एवं एसएचजी फेडरेशन को वचन देना होगा।

7. सामान्य अवसंरचना का सृजन

7.1 एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारिताओं/राज्य एजेंसियों अथवा निजी उद्यमियों को साझा प्रसंस्करण सुविधा, इन्क्यूबेशन केंद्र, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि सहित साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन के लिए दी जाएगी। इस श्रेणी के अंतर्गत पात्रता किसानों के अन्य उद्यमों का लाभ, क्वालिटी अंतर, निजी निवेश की अनुपस्थिति, मूल्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्णता आदि के आधार पर निश्चित की जाएगी। क्रेडिट लिंक्ड अनुदान यथा–निर्धारित अधिकतम 35% तक उपलब्ध होगा।

8. ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता

8.1 साझा पैकेजिंग और ब्रांडिंग विकसित करने, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण के साथ साझा पैकेजिंग एवं

ब्रांडिंग का विकास करने तथा उपभोक्ता फुटकर बिक्री के लिए खाद्य संरक्षा पैरामीटरों का पालन करने के लिए ओडीओपी दृष्टिकोण अपनाते हुए योजना के अंतर्गत एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं अथवा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और बिक्री सहायता दी जाएगी।

8.2 साझा विपणन और ब्रांडिंग के लिए न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है जिसे एक साथ बड़ी संख्या में उत्पादकों को लाने के लिए एफपीओ / एसएचजी / सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। इन संगठनों को डीपीआर के आधार समर्थन दिया जाएगा। ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रस्तावों हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राज्य नोडल एजेंसी से उपलब्ध होगी।

8.3 ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ कुल व्यय का 50% तक सीमित होगा। ब्रांडिंग और विपणन के लिए राज्यों या राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के प्रस्तावों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के लिए समर्थन दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत रिटेल आउटलेट शुरू करने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

8.4 सहायता के आवेदन करने की प्रक्रिया

8.4.1 योजना के अंतर्गत ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता हेतु आवेदन करने में रुचि रखने वाले एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियां डीपीईआर राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को प्रस्तुत करें। राज्य नोडल एजेंसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एसएलएसी) की सिफारिश के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करेगी। उसके पश्चात, प्रस्ताव ऋण की मंजूरी हेतु बैंक को संस्तुत किया जाएगा। साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन हेतु सहायता कि आवेदन करने हेतु भी यही प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

9. क्षमता निर्माण और अनुसंधान

9.1 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के तकनीकी उन्नयन और औपचारिकीकरण में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रत्येक लाभार्थी और अनुदान लेने वाले संस्थान अपने कौशल का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, जिले में ओडीओपी उत्पाद बनाने वाली अन्य मौजूदा व्यक्तिगत इकाइयों और समूहों यदि उन्हें क्रेडिट–लिंक्ड अनुदान के माध्यम से सहायता न भी दी जा रही हो तो भी प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण सहायता उन उद्योगों को भी दी जाएगी जो विपणन और ब्रांडिंग की सहायता लेंगे अथवा ऐसे नेटवर्क से जोड़ने की क्षमता रखते हों।

9.2 राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधक संस्थान (निफ्टेम) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईऍफपीटी), MOFPI के तहत दो राष्ट्रीय स्तर के फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी संस्थानों को क्षमता निर्माण और अनुसंधान की राष्ट्र स्तर पर जिम्मेदारी दी जाती है। राज्य स्तर पर, वे क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

के लिए राज्य सरकार द्वारा चयनित खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में एक राज्य स्तरीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ भागीदारी करेंगे।

9.3 व्यक्तिगत एवं समूह लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण उद्यमशीलता विकास, उद्यम प्रचालनों के अनिवार्य कार्यों, खाताबही, पंजीकरण, एफएसएसएआई मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी पंजीकरण, सामान्य हाईजीन, पैकेजिंग, विपणन इत्यादि पर फोकस करेगा। ओडीओपी के मॉडल उत्पाद पर डिजाइन किया गया विशिष्ट प्रशिक्षण उद्यमियों के कार्य स्थल के निकट चलाया जाएगा। ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) और जिला स्तरपर अन्य संस्थानों की मौजूदा अवसंरचना प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

10. साझीदार संस्थान

10.1 योजना में एससी/एसटी, महिला एवं महत्वाकांक्षी जिलों तथा एफपीओ, एसएचजी व उत्पादक समितियों पर विशेष फोकस किया गया है। ट्राइफैड, राष्ट्रीय एससी विकास वित्त निगम, एनसीडीसी, लघु कृषक कृषि–कारोबार संघ (एसएफएसी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इन क्षेत्रों में कार्य करते रहे हैं। उपर्युक्त संस्थान क्रमशः अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति की उद्योगों/क्लस्टरों, सहकारिताओं, एफपीओ और एसएचजी की पहचान कर उनको सहायता प्रदान कर उनके प्रपोजल राज्य सरकारों को समर्पित करेंगे।

11. कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग तंत्र

11.1 योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर निम्नलिखित प्रबंधन संरचना होगी:

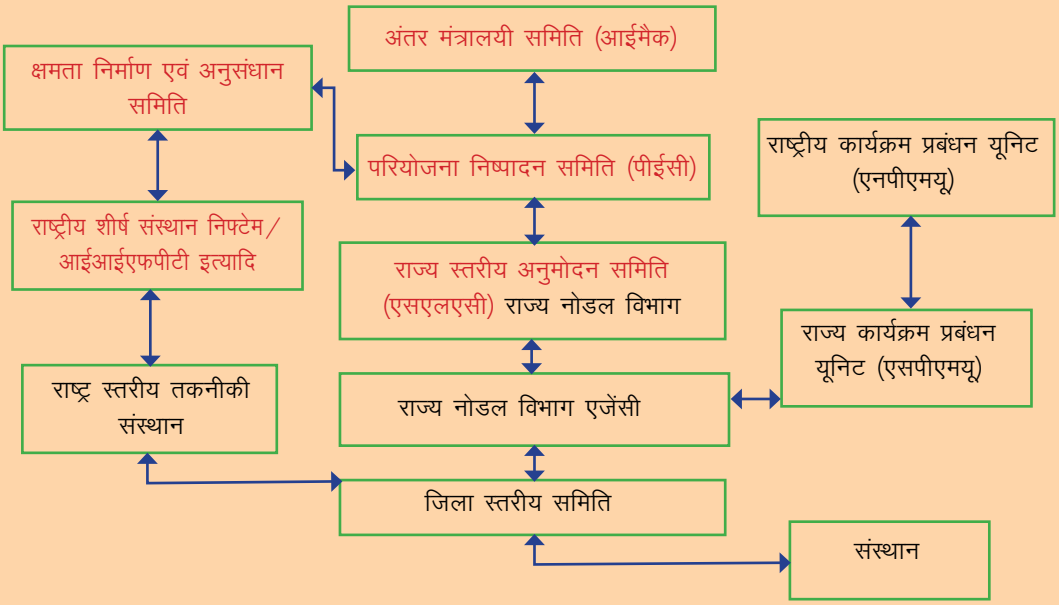

11.2 अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (आईएमईसी): केंद्रीय स्तर पर आईएमईसी की अध्यक्षता मार्गदर्शन तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र दिशा, प्रगति की निगरानी और इसके निष्पादन की समीक्षा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (एमओएफपीआई) द्वारा की जाएगी। आईएमईसी योजना के गाइडलाइन, योजना के अंतर्गत राज्यों की प्रोजेक्ट कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) तथा एसएचजी/एफपीओ/सहकारिताओं, साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा विपणन और ब्रांडिंग के 10 लाख रुपए से अधिक पूंजी निवेश के प्रस्ताव अनुमोदित करेगी। प्रशासनिक कार्य संचालित करने तथा नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में परियोजना कार्यकारी समिति (पीईसी) गठित की जाएगी सचिवालयी, प्रबंधकीय एवं कार्यान्वयन सहायता देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सहायता हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (एनपीएमयू) स्थापित की जाएगी।

11.3 राज्य स्तरीयः योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य सरकारें नोडल विभाग और राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी ।योजना का कार्यान्वयन परियोजना प्रबंधन यूनिट की सहायता प्राप्त राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) द्वारा किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। यह समिति योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के लिए 10 लाख रुपए तक की स्वीकृति देगी। जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) गठित की जाएगी।

11.4 लाभार्थियों को हैंड–होल्डिंग सहायता देने के लिए एसएनए द्वारा रिसोर्स पर्सन (आरपी) नियुक्त किए जाएंगे। हैंड–होल्डिंग सहायता डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण लेने, आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करने तथा एफएसएसएआई के मानकों, उद्यम आधार, जीएसटी इत्यादि सहित लाइसेंस के लिए होगी।

12. अध्ययन एवं रिपोर्टें

12.1 राज्य सरकारों को निम्न अध्ययन करने होंगेः–

(i) **बेस–लाइन निर्धारणः**– ओडीओपी की पहचान करने के लिए बेस–लाइन अध्ययन किया जाना चाहिए। यह अध्ययन प्रत्येक राज्य में 31 जुलाई, 2020 तक किया जाना चाहिए। इस अध्ययन के लिए राज्यों को 2.5 से 10.0 लाख रुपए तक दिए जाएंगे।

(ii) **राज्य स्तरीय उन्नयन योजना (एसएलयूपी):**– एक बार ओडीओपी के संबंध में निर्णय लिए जाने के पश्चात राज्यों में विस्तृत अध्ययन कराया जाना चाहिए जिसमें जिले में उस उत्पाद के प्रसंस्करण किए जाने की यूनिटों की संख्या, कुल मात्रा तथा उपज के मूल्य, प्रौद्योगिकी, खेत स्तरीय प्रसंस्करण, भंडारण, मालगोदाम इत्यादि का ब्यौरा दिया गया हो। यह अध्ययन 31 दिसम्बर, 2020 तक किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अध्ययन के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई गई राशि 25.0–75.0 लाख रुपए होगी।

13. विस्तृत दिशानिर्देश

स्कीम के विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट mofpi.nic.in पर देखें जा सकते हैं।

सत्यमेव जयते

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

Follow us on : MOFPIIndia MOFPI_GOI

SHARAD